

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सं. सा.का.नि. 437(अ) तारीख 4 मई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 285(E).— In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, for paragraph 29, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“29. Format and manner of maintenance of accounts.- The Central Board shall maintain a consolidated income and expenditure account as well as a consolidated balance sheet in respect of the Pension Scheme, in the common format of annual accounts, approved by the Central Government.”.

[F. No. S-35012/7/2018-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was last amended vide number G.S.R. 437(E) dated the 4th May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 286(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध (संशोधन) स्कीम, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 में ---
- (क) पैरा 19 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“19. लेखाओं का प्ररूप – कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि के लेखाओं और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन लेखाओं का भी केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जैसा कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आयुक्त द्वारा रखरखाव किया जाएगा।”

- (ख) प्ररूप 1, प्ररूप 2 और प्ररूप 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस-35012/7/2018 एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव